रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 1975/कार्तिक 9, 1897
No. 449] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1975/KARTIKA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Fertilizer and Chemicals)

ORDERS

New Delhi, the 31st October 1975

S.O. 634(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Molasses Control Order, 1961, namely :—

1. This Order may be called the Molasses Control (Amendment) Order, 1975.

2. In the Molasses Control Order, 1961 (hereinafter referred to as the said Order), Clause 3 shall be renumbered as sub-clause (1) thereof, and after sub-clause (1) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(2) While issuing an order under sub-clause (1), the Molasses Controller shall have due regard to the following, namely :—

(a) the estimated availability of molasses and the demand for the same in the State;

(b) the purpose for which molasses is required;

(c) the requirement of the persons who are actual users of molasses;

(d) the need for ensuring supply of molasses—

(i) to distilleries which produce alcohol for meeting the requirements of Defence purposes, Government purposes or alcohol based industries;

(ii) to any other industry which uses molasses;

(e) where molasses have been supplied to a person earlier, the fact as to how such molasses had been consumed by him; and

(f) any other relevant factor."

3. In clause 10 of the said Order, in sub-clause (2), for the words and figures "sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, figures and brackets "section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" shall be substituted

4. For clause 11 of the said Order, the following clause shall be substituted, namely:—

"11. *Application of provisions of the Order to molasses prepared by open pan process.*—(1) The provisions of this Order shall apply to and in relation to molasses prepared by the open pan process (that is to say, mother liquor produced in the final stage of the manufacture of khandsari sugar by the open pan process) from sugarcane or gur with the aid of power as they apply to and in relation to mother liquor produced in the final stage of the manufacture of sugar by the vaccum pan process from sugarcane or gur with the aid of power:

Provided that in such application, the Schedule to this Order shall have effect as if for the Schedule, the following Schedule had been substituted, namely:—

THE SCHEDULE

1	2
Grade of Molasses	*Price*
Grade K-I Total reducing sugar by weight above 60 per cent.	Rs. 9·00 per 100 kilograms
Grade K-II Total reducing sugar by weight from 55 to 60 per cent.	Rs. 7·50 per 100 kilograms.
Grade K-III As per specification of Grade I cane molasses. .	Rs. 6·00 per 100 kilograms.
Grade K-IV As per specification of Grade II cane molasses. .	Rs. 4·80 per 100 kilograms.
Grade K-V	Rs. 3·60 per 100 kilograms.
As per specification of Grade III cane molasses.	Rs. 3·60 per 100 kilograms.
Below grade K-V	Rs. 3·60 for every 40 kilograms reducing sugar content therein.

NOTE.—From the price fixed under the above Schedule, 33 1/3 per cent thereof shall be accounted for and funded separately by the producers, and shall be utilised for erection of adequate storage facilities in accordance with the orders that may be issued by the Central Government for the regulation of such funds.

(2) Notwithstanding that the provisions of this Order have come into force in any State, the provisions of sub-clause (1) shall not come into force in that State unless the Central Government, by Notification in the Official Gazette, otherwise directs.".

5. For the Schedule appended to the said Order, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SCHEDULE

(*See* clause 7)

1	2
Grade of Molasses	*Price*
Grade I	Rs. 6·00 per 100 kilograms
Grade II	Rs. 4·80 per 100 kilograms.
Grade III	Rs. 3·60 per 100 kilograms.
Below Grade III	Rs. 3·60 for every 40 kilograms reducing sugar content therein.

NOTE.—From the price fixed under the above Schedule for different grades of molasses, the below mentioned amounts shall be accounted for and funded separately by the producers and shall be utilised for erection of adequate storage facilities in accordance with the orders that may be issued by the Central Government for the regulation of such funds:—

Grade I Molasses	Rs.2·00 per 100 kilograms.
Grade II Molasses	Rs. 1·60 per 100 kilograms.
Grade III Molasses	Rs. 1·20 per 100 kilograms.
Below Grade III Molasses.	Rs. 1·20 for evey 40 kilogrames reduing sugar content therein"

[No. 24(11)/74-Ch.II]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(उर्वरक और रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1975

का० आ० 634(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18(छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम शीरा नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1975 है ।

2. शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खण्ड 3 को उसके उपखण्ड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(2) उपखण्ड (1) के अधीन आदेश जारी करते समय शीरा नियंत्रक निम्नलिखित बातों का सम्यक ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) राज्य में शीरा की अनुमानित उपलब्धता तथा उसकी मांग ;

(ख) वह प्रयोजन जिसके लिये शीरा अपेक्षित है ;

(ग) उन व्यक्तियों की अपेक्षा, जो शीरा का वास्तविक रूप से उपभोग करते हैं ;

(घ) शीरा का निम्नलिखित को प्रदाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता—

(i) ऐसी निर्माणशालायें जो रक्षा प्रयोजनों, सरकारी प्रयोजनों या एल्कोहल पर आधारित उद्योगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये एल्कोहल का उत्पादन करती हैं ;

(ii) ऐसा कोई अन्य उद्योग जो शीरा का उपयोग करता है ।

(ङ) जहां किसी व्यक्ति को शीरे का प्रदाय पहले किया जा चुका हो, वहां यह तथ्य कि ऐसे शीरे का उपभोग उसने कैसे किया है; और

(च) अन्य कोई सुसंगत बात ।"

3. उक्त आदेश के खण्ड 10 में, उपखण्ड (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 और 103" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे ।

4. उक्त आदेश के खण्ड 11 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"11 **खुले कढ़ाह की प्रक्रिया द्वारा तैयार शीरे को इस आदेश के उपबन्धों का लागू होना.**—(1) गन्ने या गुड़ से विद्युत शक्ति की सहायता से खुले कढ़ाह की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया शीरा (अर्थात्, खुले कढ़ाह की प्रक्रिया द्वारा खाण्डसारी चीनी के विनिर्माण के अन्तिम प्रक्रम में उत्पादित मूल लिकर को और उसके सम्बन्ध में इस आदेश के उपबन्ध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस मूल लिकर को और उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं जो गन्ने और गुड़ को विद्युत शक्ति की सहायता से निर्वात कढ़ाह की प्रक्रिया द्वारा चीनी के विनिर्माण के अन्तिम प्रक्रम में उत्पादित किया गया है :

परन्तु ऐसे लागू होने में इस आदेश की अनुसूची का प्रभाव यह होगा मानो उस अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी गई हो, अर्थात् :—

अनुसूची

(1) शीरे की श्रेणियां	(2) कीमत
श्रेणी ख–I	
भार में 60 प्रतिशत से ऊपर कुल अपचायक चीनी	9-00 रु० प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी–II	
भार में 55 से 60 प्रतिशत तक कुल अपचायक चीनी तक कम होना	7-50 रु० प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी ख–III	
श्रेणी I गन्ने के शीरे के विनिर्देश के अनुसार	6-00 रु० प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी ख– IV	
श्रेणी 2 गन्ने के शीरे के विनिर्देश के अनुसार	4-80 रु० प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी ख–V	
श्रेणी III गन्ने के शीरा के विनिर्देश के अनुसार	3-60 रु० प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी ख–V से नीचे	3-60 रुपये प्रति 40 किलोग्राम अपचायक चीनी अन्तर्वस्तु

टिप्पण .—उपरोक्त अनुसूची के अधीन नियम कीमत से 33–1/3 प्रतिशत का उत्पादकों द्वारा पृथक् लेखा रखा जायगा और उसे पृथक् निधि में रखा जायेगा और उसका उपयोग पर्याप्त भाण्डारकरण सुविधाओं के लिये उन आदेशों के अनुसार किया जायेगा जो ऐसी निधियों के विनियमन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये जायें ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि इस आदेश के उपबन्ध किसी राज्य में प्रवृत हो गये हैं, उपखण्ड (1) के उपबन्ध उस राज्य में तब तक प्रवृत्त नहीं होंगे जब तक केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदेश न दे दिया हो" ।

5. उक्त आदेश से संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जायेगी, अर्थात् :—

अनुसूची

(खण्ड 7 देखिये)

(1) शीरे की श्रेणी	(2) कीमत
श्रेणी–I	6-00 रुपये प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी–II	4-80 रुपये प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी–III	3-60 रुपये प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी III से नीचे	3-60 रु० प्रति 40 किलोग्राम अपचायक चीनी अन्तर्वस्तु

टिप्पण.—शीरे की विभिन्न श्रेणियों के लिये उपरोक्त अनुसूची के अधीन नियम कीमत में से उत्पादकों द्वारा नीचे लिखित रकमों का पृथक् लेखा रखा जायेगा और उन्हें पृथक् निधि में रखा जायेगा और उनका उपयोग पर्याप्त भाण्डारकरण सुविधाओं के लिये उन आदेशों के अनुसार किया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी निधियों के विनियमन के लिये समय-समय पर जारी किये जायें :—

श्रेणी I शीरा	2-00 रुपये प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी II	1-60 रुपये प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी III शीरा	1-20 रुपये प्रति सौ किलोग्राम
श्रेणी III से नीचे	1-20 रुपये प्रति 40 किलोग्राम का शीरा अपचायक नीची अन्तर्वस्तु ।

[सं० 24(11)/74-सी एच-II]

S.O. 635(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Ethyl Alcohol (Price Control) Order, 1971, namely:—

1. (1) This Order may be called the Ethyl Alcohol (Price Control) Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ethyl Alcohol (Price Control) Order, 1971 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"THE TABLE

(1)	(2)
1. Absolute alcohol conforming to ISI Standard No. 321—1952, naked, for equivalent volume at 100 percent v/v strength	Six hundred and sixty eight rupees and forty-one paise, per kilo litre.
2. Rectified spirit conforming to ISI Standard No. 323—1959, naked, for equivalent volume at 100 percent v/v strength	Six hundred and twenty-two rupees and twenty paise, per kilolitre
3. Rectified spirit conforming to ISI Standard No. 323—1959, naked for equivalent volume at 94·68 percent v/v strength	Five hundred and eighty nine rupees and ten paise per kilo litre "

3. In clause 3 of the said Order, in sub-clause (b)—

(a) in item (i), for the words, brackets and figure "two (2) rupees per kilo litre", the words "two rupees and fifty paise per kilo litre" shall be substituted;

(b) in item (ii), for the words, brackets and figure "five (5) rupees per kilo litre", the words "six rupees and fifty paise per kilo litre" shall be substituted.

[No. 24(11)/74-Ch.II]
P. J. FERNANDES, Secy.

का० आ० 635 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एथिल एल्कोहल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1971 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम एथिल एल्कोहल (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. एथिल एल्कोहल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड (2) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी

1	2
1. भा० मा० सं० मानक संख्या 321–1952 के अनुरूप परिशुद्ध एल्कोहल, खुला, 100 प्रतिशत वी/वी शक्ति के समतुल्य आयतन के लिए	छह सौ अड़सठ रुपए इक्तालीस पैसे प्रति किलो लीटर
2. भा०मा०सं० मानक संख्या 323–1959 के अनुरूप परिशोधित स्प्रिट, खुली, 100 प्रतिशत वी/वी शक्ति के समतुल्य आयतन के लिए	छह सौ बाईस रुपए बीस पैसे प्रति किलो लीटर
3. भा०म०सं० मानक संख्या 323–1959 के अनुरूप परिशोधित स्प्रिट, खुली, 94.68 प्रतिशत वी/वी शक्ति के समतुल्य आयतन के लिए	पांच सौ नवासी रुपए दस पैसे प्रति किलो लीटर

3. उक्त आदेश के खंड 3 में, उपखंड (ख) में—

(क) मद (1) में 'दो (2) रुपए प्रति किलो लीटर' शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर 'दो रुपए पचास पैसे प्रति किलो लीटर' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) मद (ii) में 'पांच (5) रुपए प्रति किलो लीटर' शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर 'छह रुपए पचास पैसे प्रति किलो लीटर' शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 24(11)/74-सी एच II]
पी० जे० फर्नांडीस, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975